रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 555] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

का.आ. 620(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सेवा परिदान संरचना का सुरक्षा तंत्र सृजित करना और अनन्य रूप से बाल संरक्षण के लिए कार्यरत प्रशिक्षित कार्मिकों का एक कॉडर उपलब्ध कराना है तथा इस योजना के द्वारा मौजूदा पहलों और पूर्व परिभाषित तथा उन्नत मूल्य मानदंडों पर आधारित नए उपाय शुरू करके, दोनों को साथ लेकर प्रत्येक बालक के लिए आवश्यकता पर आधारित सेवाओं की एक श्रेणी का उपबंध किया गया है और इस योजना के उद्देश्य (i) विधि का विरोध करने वाले बालकों तथा ऐसे बालकों जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित वातावरण उपलब्ध कराना (ii) सामाजिक संरक्षण उपायों की व्यापक श्रेणी के माध्यम से भेद्यता को कम करना (iii) ऐसी कार्रवाईयों को रोकना जिससे बालकों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, उनका कुटुम्ब से परित्याग और पृथक्करण आदि होता हो तथा (iv) गैर-संस्थानिक देखभाल पर ध्यान दिया जाना है ;

और, इस स्कीम में राज्य और जिला स्तर पर संविदात्मक कर्मचारीवृंद के भाड़े पर लेने का उपबंध है और कर्मचारीवृंद का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्य पूर्व परिभाषित लागत अंश विभाजन पैटर्न के आधार पर निधिक होता है और जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् –

1. (1) स्कीम के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपना आधार संख्यांक होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में भारसाधक महिला और बाल विकास विभाग से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समन्वय से या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी ।

परन्तु स्कीम के अधीन काम करने वाले कर्मचारीवृंद का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए पारिश्रमिक दिया जाएगा अर्थात् –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-2 में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति ; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, अर्थात् –

(i) बैंक फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक ; या (v) पासपोर्ट; या (vi) चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) पैन कार्ड; या (viii) एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड; या (ix) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान कार्ड; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित पहचान पत्र; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

2. (1) आधार के लिए सुविधाजनक और बाधारहित नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे और आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता के बारे में स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद की जागरूता के लिए तथा आधार नामांकन के लिए की गई सुविधाओं ब्यौरों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाएंगी जो आवश्यक हो।

(2) यदि स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीम को कार्यान्वित करने वाले भारसाधक महिला और बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा-1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा-निर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 14-10/2016-सीडब्ल्यू-II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

S.O. 620(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the centrally sponsored Integrated Child Protection Scheme (hereinafter refer to as the Scheme) for children in difficult circumstances and the Scheme aims at creating safety net of service delivery structures at national, State and District level and to put in place a cadre of trained personnel working exclusively on Child Protection and the Scheme provides a range of need based services for each child by bringing together existing initiatives and introducing new measures based on pre-defined and enhanced cost norms and the objectives of the Scheme are to (i) provide safe and secure environment for children in conflict with law, and children in need of care and protection; (ii) reduce vulnerabilities through a wide range of social protection measures (iii) prevent actions that lead to abuse, neglect, exploitation, abandonment and separation of children from families etc.; and (iv) bring focus on non-institutional care;

And, whereas, the Scheme provides for hiring of contractual staff at the State and District level, and the remuneration of the staff is funded on a pre-defined cost sharing pattern between the Centre and State Government or Union territory Administrations, and which involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any individual receiving remuneration under Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual receiving remuneration under Scheme who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act by 31st March, 2017 and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at **www.uidai.gov.in**) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments and Union territory Administrations in charge of implementing the scheme is required to enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the staff working under the Scheme, remuneration shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) Any of the following documents, namely:—

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS Job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar, the State Governments and Union territory Administrations shall issue necessary instructions and make such arrangements as may be necessary through the Offices of Child Development Project Officers and Supervisors for awareness of the staff working under the Scheme about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

(2) In case the staff working under Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Women and Child Development Department in the State Governments and Union territory Administrations in charge of implementing the scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the staff working under Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No.14-10/2016-CW-II]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.23 23:05:16 +05'30'